कार्यालय प्राचार्य
शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल म.प्र.
Website : https://govhamidiacollege.com/ Ph.-Fax No. 0755-2660447,2660081 Email – heghaaccbho@mp.gov.in

भोपाल, दिनांक 27/07/22

:–प्रवेश नवीनीकरण दिनांक 01.08.2022 से 31.08.2022 तक–:
बी.ए., बी.कॉम., बी.सी.ए., बी.बी.ए., द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष
एम.ए., एम.कॉम. तृतीय सेमेस्टर में नियमित छात्रों हेतु

महाविद्यालय में सत्र 2022–23 में स्नातक **द्वितीय एवं तृतीय** वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश नवीनकरण हेतु नियमित छात्रों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2022–23 में प्रवेश नवीनीकरण ऑनलाईन के माध्यम से होंगे महाविद्यालय द्वारा छात्रों को द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के छात्रों को **ऑनलाईन पोर्टल पर प्रमोट कर दिया गया है।** छात्र एम.पी.ऑनलाईन के कियोस्क के माध्यम से ई–प्रवेश पोर्टल पर अपना नामांकन बताकर ऑनलाईन प्रवेश शुल्क रू. 500 जमा करेंगे। **प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात छात्र को प्रवेश फार्म का प्रिंटआउट प्राप्त होगा छात्र उस पर अपने हस्ताक्षर, मोबाईल नम्बर, एवं ई–मेल, लिखकर एवं पिछली कक्षा की शुल्क रसीद, अंकसूची, (जाति लागू हो तो), मूलनिवासी संलग्न कर प्रवेश फार्म कार्यालय में दिनांक 15.08.2022 से श्री रामस्वरूप पाल के पास जमा करें एवं दूसरी प्रति पर पावती प्राप्त करें। प्रवेश फार्म जमा न करने की स्थिति में आपका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। जिसके लिये छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे।**

(केवल सत्र 2021–22 में मेधावी/संबंल योजना के लाभान्वित छात्रों हेतु सूचना)

सत्र 2021–22 में जिन छात्रों ने मेधावी/संबंल योजना अंतर्गत प्रवेश प्राप्त किया था, वह छात्र द्वितीय एवं तृतीय वर्ष हेतु नवीनीकरण हेतु एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से अपना पंजीयन आवश्यक रूप से करावें। यदि पोर्टल पर प्रवेश शुल्क मेधावी/संबंल योजना में भी 500 दर्शाता है तो छात्र महाविद्यालय के कार्यालय में उपस्थित होकर अपने शुल्क में सुधार करवाकर प्रवेश शुल्क जमा करें। पंजीयन कराने के उपरांत छात्र योजना प्रभारी मैधावी छात्र हेतु– **प्रो. संस्कृति दमाड़े (मनोविज्ञान विभाग)** एवं **संबल योजना प्रभारी हेतु– डॉ. शीला ठाकुर (हिन्दी विभाग) से पंजीयन फार्म का सत्यापन कराने के उपरान्त उसकी** एक छायाप्रति प्रवेश फार्म के साथ संलग्न कर जमा करने पर ही छात्र को उक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा, ऐसा नहीं कराने पर छात्र को महाविद्यालय में सम्पूर्ण फीस जमा करना होगी। **जिसके लिये छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे।**

(डॉ. अनिल शिवानी)